

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 3052/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16-दिसम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बैरीनाग में पाताल-भुवनेश्वर-चौडमन्या मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 5.00 किमी० में पड़ने वाली 3.375 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण (प्रपोजल FP/UK/ROAD/48105/2020)

संदर्भ:- वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त अल्मोड़ा का पत्रांक 2729/12-1 दिनांक 12.01.2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1883/27सी दिनांक 05.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (इ०डी०एस०) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की है जो कि निम्नवत है:-

क्र० सं०	वन संरक्षक द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या
1	2	3
1	मोटर मार्ग की लम्बाई मात्र 5.00 किमी० में 88 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रही हैं जो काफी अधिक हैं। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेखन में विचार करना सुनिश्चित करें।	विषयांकित मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्व में भारत सरकार को ऑफलाइन प्रेषित किया गया था। तत्समय भारत सरकार के पत्रांक सं० पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/44/2010/एफ०सी०/652 दि 02.02.2010 द्वारा समरेखन में 573 बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव मैरिट के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। (प्रति संलग्न) वर्ष 2015 में वैकल्पिक समरेखन स्वीकृत करवाया गया। तत्पश्चात वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर पुनः वन विभाग को प्रेषित किये गये थे। इस समरेखन में न्यूनतम 88 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रस्ताव पर वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा समरेखन में अधिक बांज वृक्ष आने के कारण वैकल्पिक समरेखन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त पत्र के अनुपालन में दिनांक 03.02.2021 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कई बार सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात भी कम बांज वृक्ष वाला समरेखन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न) जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा बार-बार मोटर मार्ग निर्माण हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना/आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।



भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय [ मध्य क्षेत्र ]

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,  
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
टेलीफोन-2323980  
फैक्स-0522.2326696  
दिनांक: 02.02.2010

सं० 8बी/यू.सी.पी/06/44/2010/एफ.सी. 1652

मा में,  
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,  
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग,  
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग में पाताल भुनेश्वर चौड़मन्चा मोटर मार्ग किमी० 0.00 से किमी० 5.0 तक के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि गैरव्यवहारी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2135/1जी-2902(पिथौ०) दिनांक 19/01/2010 ।

महोदय,  
उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी है।

उपरोक्त प्रस्ताव के निरीक्षण के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से 735 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है जिसमें 673 ओक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रस्ताव को मेरिट के आधार पर निरस्त किया जाता है।

भवदीया  
[संजला सिंह]  
उप वन संरक्षक(के.)


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


1. अति० वन महानिदेशक(एफ०सी०), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग, पिथौरागढ़।
5. आदेश पत्रावली।


(संजला सिंह)  
उप वन संरक्षक(के.)

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर चौड़मन्या मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 5.00 किमी० में अलग-अलग बिन्दु से सर्वेक्षण कार्य किया गया परन्तु कई बार सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात भी कम बांज वृक्ष वाला समरेखन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक समरेखन उपलब्ध नहीं है।

  
(इ०गणेश रतेला)  
अपर सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग

  
(इ०सजीव भट्ट)  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग

  
(इ०पी०सी०पन्त)  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग